गनरूपा ..... बनाम भूमिधारी तहसीलदार

किस्म मुकदमा ..... प्रकरण संख्या 05/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
5-12-19	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी, दौराने बहस अधिवक्ता ने कथन किया कि मौजा पूरन के खसरा संख्या 1218 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नं. 1213 व 1210 में से रास्ता दिये जाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थीगण नं. 3,4 ने जरिये प्रार्थनापत्र खसरा नं. 1203, 1207, 1210 की दक्षिणीभाग से रास्ता दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की। उभयपक्ष की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर प्रार्थीगण के खसरा सं. 1218 में आवागमन हेतु खसरा नं. 1213 व 1210 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण को उक्त खसरान में रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण की उक्त प्रार्थना पत्र u/s 251(क) RTA स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को खसरा नं. 1218 में आवागमन हेतु खसरा सं. 1210 व 1213 में रास्ता दिया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। मिसल फैसल शुमार होकर बंद की जाती व शामिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर
जसवन्तपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner